भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4515

(दिनांक 19.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

मीडिया और फिल्मों में व्यस्कों के देखने योग्य विषय-वस्तु

4515. श्री खगेन मुर्मुः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अनुसार देश में प्रमुख भाषाओं में प्रदर्शित की जा रही व्यस्क फिल्मों ('ए' प्रमाणपत्र) की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न प्रकार के मीडिया में हिंसा/अश्लीलता वाली सामग्री के प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन से संबंधित मानकों/नियमों के उल्लघंन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंटरनेट/प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बढ़ती हुई वयस्क विषय-वस्तु वाली सामग्री और हिंसा का युवाओं और किशोरों सहित समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): जी, नहीं। सीबीएफसी से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा 'ए' श्रेणी के अंतर्गत प्रमाणित फिल्मों की संख्या में कमी

दर्ज की गई है। गत 3 वर्षों के दौरान 'यू', 'यूए' तथा 'ए' श्रेणी के तहत प्रमाणित फिल्मों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	यू	**यूए**	**ए**
2016-17	1209	1620	582
2017-18	836	1793	465
2018-19	1352	2515	420

(ख) से (घ): मौजूदा विनियामक ढांचे के अनुसार प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित तथा केबल टीवी नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत निर्मित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना आवश्यक होता है। इस अधिनियम में ऐसे टीवी चैनलों पर प्रसारित किसी कार्यक्रम अथवा विज्ञापन की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, इसमें यह प्रावधान है कि ऐसे टीवी चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रतिष्ठापित निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता, जिनमें अश्लीलता अथवा हिंसा को संभावित रूप से बढ़ावा देने वाली विषय-वस्तु सहित टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को विनियमित करने हेतु व्यापक पैरामीटरों को शामिल किया गया है, के अनुरूप होना चाहिए। गत तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट टीवी चैनलों द्वारा अश्लीलता और हिंसा से जुड़ी विषय-वस्तु का प्रसारण करके कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्रालय ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संदर्भ में प्राइवेट टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की निगरानी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने अथवा स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेने के लिए मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है। आईएमसी में गृह, रक्षा, विदेश, विधि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उपभोक्ता मामले तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) से उद्योग के एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आईएमसी की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं और यह प्राइवेट टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संदर्भ में कार्रवाई की अनुशंसा करती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने केबल टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु को

विनियमित करने के लिए जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों की स्थापना करने हेतु राज्यों को निदेश भी जारी किए हैं।

भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने भी गैर-समाचार चैनलों के मामले में स्व-विनियमन हेतु प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) के जरिए एक कार्यतंत्र की स्थापना की है। इसके भाग के रूप में आईबीएफ ने विषय-वस्तु संहिता एवं प्रमाणन नियमावली, 2011 निर्धारित की है जिसमें टेलीविजन प्रसारण के लिए विषय-वस्तु से संबंधित समग्र सिद्धांतों एवं मानदंडों को शामिल किया गया है।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत गठित भारतीय प्रेस परिषद में पत्रकारों के लिए विविध परिस्थितियों में संदर्भ गाइड के रूप में कार्य करने हेतु मीडिया के मानक को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' शीर्षक वाला एक सार-संग्रह जारी किया है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने तथा प्रेस के मानकों को बरकरार रखने और उनमें सुधार लाने के अपने अधिदेश के अंतर्गत प्रकाशित विषय-वस्तु से जुड़े नियमों के उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विचार और न्यायनिर्णय किया जाता है।

अनुलग्नक I

दिनांक 19.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4515 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में यथा उल्लिखित अनुलग्नक

गत तीन वर्षों के दौरान हिंसा, अश्लीलता को दर्शाने वाली सामग्री को प्रसारित करने के लिए प्राइवेट टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

2016

क्र.सं.	चैनल का नाम	टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु का ब्यौरा	की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1.	केयर वर्ल्ड	अप्राकृतिक सेक्स पर एक कार्यक्रम "क्या करूं मैं अब?" का प्रसारण	24.05.2016 को चैनल को एक चेतावनी जारी की गई।
2.	एफ टीवी	कार्यक्रम संहिता के कथित उल्लंघन में फोटोज नामक कार्यक्रम का प्रसारण	25.05.2016 को चैनल को एक सलाह-पत्र जारी किया गया।
3.	सीवीआर अंग्रेजी समाचार चैनल	मृत शरीर के विचलित करने वाले दृश्यों को दर्शाने वाले समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	25.05.2016 को चैनल को एक सलाह-पत्र जारी किया गया।
4.	ऑस्कर मूवीज	विभिन्न तिथियों पर 'ए' प्रमाणित फिल्मों का प्रसारण	दिनांक 06.06.2016 को चैनल को एक सलाह-पत्र जारी किया गया।
5.	केयर वर्ल्ड	"क्या करूं मैं अब?" नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल का प्रसारण अथवा पुन: प्रसारण सात दिन के लिए बंद करने हेतु दिनांक 02.11.2016 को चैनल को एक आदेश जारी किया गया।
6.	न्यूज टाइम असम	नाबालिग लड़के की पहचान का खुलासा करते हुए समाचार रिपोर्ट का प्रसारण	चैनल का प्रसारण अथवा पुन: प्रसारण एक दिन के लिए बंद करने हेतु दिनांक 02.11.2016 को चैनल को एक आदेश जारी किया गया। (एक साथ तीनों का प्रसारण बंद करने हेतु)
	न्यूज टाइम असम	मृत शरीर के विचलित करने वाले दृश्यों को दर्शाने वाले समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	
	न्यूज टाइम असम	विधायक की छवि को धूमिल करने वाले तथा महिलाओं को अपमानित करने वाले समाचारों का प्रसारण	
7.	एमबीसी टीवी	यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की पहचान का खुलासा करने वाली समाचार रिपोर्ट का प्रसारण	29.11.2016 को चैनल को एक चेतावनी जारी की गई।
8.	पीपल टीवी	मृत शरीर के विचलित करने वाले दृश्यों को दर्शाने वाले समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	29.11.2016 को चैनल को एक चेतावनी जारी की गई।
9.	रिपोर्टर टीवी	हिंसा के विचलित करने वाले दृश्यों को दर्शाने वाले समाचार बुलेटिनों का प्रसारण	29.11.2016 को चैनल को एक चेतावनी जारी की गई।

2017

क्र.सं.	चैनल का नाम	टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु का ब्यौरा	की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	टीवी-9 (मराठी)	आत्मदाह करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के विचलित करने वाले दृश्यों को दर्शाने वाली समाचार रिपोर्ट का प्रसारण	कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन के कारण चैनल को दिनांक 28.02.2017 को एक सलाह-पत्र जारी किया गया।
2	ऑल टीवी चैनल	रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के बीच टीवी चैनलों पर विज्ञापनों का प्रसारण करते हुए कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण	सभी टीवी चैनलों को दिनांक 11.12.2017 को एक सलाह-पत्र जारी किया गया।
3	वी टीवी चैनल	हिंसा के विचलित करने वाले दृश्यों को दर्शाने वाले 'वायरल ट्रूथ' नामक समाचार कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल का प्रसारण अथवा पुन: प्रसारण एक दिन के लिए बंद करने हेतु चैनल को 12.12.2017 को एक आदेश जारी किया गया।

2018

क्र.सं.	चैनल का नाम	टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु का ब्यौरा	की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	सीवीआर हेल्थ	दिनांक 29.12.2016 तथा 30.12.2018 को 'हेल्दी नाइट्स' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	दिनांक 08.09.2018 से 11.09.2018 तक तीन दिनों के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने हेतु दिनांक 05.09.2018 को एक आदेश जारी किया गया।